

सरकार का अधिकारी पत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—चण्ड 3—बप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

S. 613]

नं० ६१३] दिल्ली, मुंबई, आगस्ट 28, 2001/भाद्रा ६, १९२३

No. 613]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2001/BHADRA 6, 1923

वस्त्र वस्त्रालय
मंत्रालय
जूते आद्युक्त का कार्यालय

आदेश

कोलकाता, 28 जून, 2001

संकेत नं० ८२९(अ)।—दूसिंह, इस्ट चॉल्ड, बन तथा पक्षालय
मंत्रालय दे सिनेक्स ८ अक्टूबर, 1996 के नियम ४५७(अ) के
विपरीत उत्पादन द्वारा सिनेक्स (ट्रैड) के नियम ने पर-हैसियालूप
जूते, जूते को जूतेवाले आद्युक्त ब्रिटिश लगाए हैं। अतः पटना वशि-
राम याक नियमन द्वारा, 2000 के छण्ड 4 बप ६ द्वारा प्रदत्त
नियमों का अनुसार नाम दुर्दम है, ए. के. पटना वशिराम आद्युक्त यत्वालूप
जूते वृद्धि की गति वे सिनेक्स द्वारा द्वारा जूते के नियम
नियमित आवार पर-हैसियालूप इकूलेक्ट्रो (इट बैचिंग ऑफल)
के बाबत दर में ३% से अधिक न हो।

दो खाने विद्युत दिया हूँ कि लोदे के व्यवहार वैज्ञान वृद्धिरूप हेतु
नाम दे ३% पर-हैसियालूप हाइड्रोक्सिन (यूट बैचिंग ऑफल) से
जांचक वृद्धि साहाय्य का नियम नाम वा भृष्टाल नहीं कर सकते।

जल्दी थोड़ा डारा उत्पादन न के उल्लंघन किए जाने पर
वायराक उत्पादन द्वारा उद्धिकारन, 1935 की दर ७ के अनुरूप
दर लागेगा।

यह अधिसूचना सरकारी संचार द्वारे प्रकाशित होने की घोषित
रूप से होता।

[मा. द. पटल (ट.)-6/11/८६-II]

ए. के. पटल, पटल अद्युक्त

१८०३/८/२००१